

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर 2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्गी-एक
 3. वर्तमान वेतन 14445/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2015

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① कोणार्क मीनाल	क.ज.कृ. निमाळ मडल द्वारा पट्टे पर कांक्ट्रिक्ट (दान प्राप्त) मठकं 230 16 X 36 = 576 वर्ग फुट	-	क. 2.00 लाख	- (खय)	दान में प्राप्त हुई दि 19-7-08 श्री सी वी काले नाथ टी. टी. गंगुली मीनाल (म.क.)	रिक्त	-
② धुकरवाड़ा ग्राम - बोरवा कीवाट	20 X 30 = 600 sq ft	-	क. 5.00 लाख	- (खय)	कय किया गया	-	-

जहां लागू न हो कर दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 धारणा: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर
 पद सहायक वर्गी-एक